अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यकारिणी की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

स्थान: कार्यालय कक्ष अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
दिनांक: 13 अप्रैल, 2015 **समय:** 4:00 बजे अपराह्न।
बैठक की उपस्थिति: संलग्नक–1

सर्व प्रथम अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की आज्ञा से परिषद की कार्यकारिणी की 14वीं बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय तथा इस दिशा में कृत कार्यवाही से सभी सदस्यों को अवगत कराया जिसमें निम्न एजेंडा बिन्दु सम्मिलित थे–

मद संख्या 14.05: अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 14वीं बैठक में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के कार्यरत स्टाफ को आवश्यक रूप से ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई के अन्तर्गत लाभ देने हेतु निर्देश दिये गये थे, लेकिन परिषद में एकल सैलेरी पूल न होने के कारण तथा चालू परियोजनाओं में धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा सुझाव दिये गये कि परिषद में संविदा पर कार्यरत स्टाफ की संख्या को देखते हुए ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई पर बहुत अधिक धनराशि व्यय नहीं होगी तथा वर्तमान में परिषद के पास उपलब्ध धनराशि से ही कर्मचारी भविष्य निधि एवं ई0एस0आई0 में पंजीकृत जा सकता है, अतः इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय।

मद संख्या 14.08: अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रबन्ध कार्यकारिणी के निर्देशन के अनुपालन में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद का प्रस्तावित ढांचे को शासन की स्वीकृति हेतु पत्रांक /1ए/प्रबन्ध कार्यकारिणी/सं0ढा0/2013–14 दिनांक 1 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या 1021/X-3-14-04(01)-2014 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के माध्यम से संगठनात्मक ढांचे के कुछ विन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है जिस पर कार्यवाही की जा रही है तथा आंशिक संशोधन हेतु परिषद के प्रबन्ध कार्यकारिणी में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

मद संख्या 14.11: अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद की 14वीं बैठक में परिषद द्वारा संचालित एस.सी.पी.–यू.बी.आर.डी.पी. 5 वर्षीय परियोजना के अन्तर्गत शेष धनराशि रू0 20,65,886 को पुर्नवैध (Revalidate) कराने तथा परियोजना के अन्तर्गत खरीदा फर्नीचर इत्यादि हेतु दो कमरो का स्थान किराये पर लेने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में परिसर के अन्दर ही एक भण्डारण हेतु 1 कमरे की स्थान हेतु जलागम से अनुरोध जलागम निदेशालय से किया गया। उनके द्वारा सामान रखने हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया है। परिषद द्वारा समाज कल्याण विभाग को द्वितीय फेज हेतु परियोजना प्रस्ताव के साथ ही शेष धनराशि पुर्नवैध (Revalidate) करने हेतु अनुरोध किया गया था

जो अभी शासन स्तर पर लम्बित है। *इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि एस0सी0पी0 परियोजना के द्वितीय फेज तथा शेष धनराशि को पुर्नवैध (Revalidate) करने हेतु पुनः कार्यवाही की जाय।*

मद संख्या 14.12: अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद की 14वीं बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये थे कि परिषद को अपनी विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ करना चाहिए, जिस हेतु देहरादून में मुख्य स्थान पर अपना यथा– राजपुर रोड पर अपना एक आउटलेट स्थापित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आउटलेट स्थापित करने हेतु धनराशि की मांग सर रतन टाटा ट्रस्ट, ओ.एन.जी.सी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत किया जा सकता है। अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत सेल आउटलेट हेतु धन राशि उपलब्ध नहीं है। परिषद द्वारा इस हेतु सर रतन टाटा ट्रस्ट, सामेकित आजीविका सहयोग परियोजना तथा जनजातीय मत्रालय भारत सरकार को परियोजनाऐं भेजी हैं, जो अभी प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही ये परियोजनाऐं स्वीकृत होती हैं तो सेल आउटलेट पर कार्यवाही की जायेगी। *इस पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि विपणन व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु उचित कार्यवाही की जाय।*

प्रबन्ध कार्यकारिणी की 15वीं बैठक का कार्यवृत्तः

एजेण्डा मद सख्या 15.1 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को प्राथमिकता के तौर पर बांस उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में परिषद द्वारा गठित कई स्वयं सहायता समूह एवं स्वायत्त सहकारिताओं के हस्तशिल्पी बांस आधारित हस्तशिल्प से जूड़े हुए हैं साथ ही परिषद द्वारा बांस गृह निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लेकिन प्रदेश में बास कटाई की कोई प्रभावी नीति नहीं होने के कारण अभी भी बांस बाहरी राज्यों से खरीदा जा रहा है, जो काफी महंगा होता है। चुंकि परिषद का लक्ष्य बांस रोपण पर्यावरण सम्बर्द्धन के साथ–साथ वाणिज्यिक उपयोग का भी है जिससे कि प्रदेश में बांस आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। इस बिन्दु को मध्य नजर रखते हुए एक ऐसी नीति तैयार की जाय जिससे कि वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जब भी बांस कल्चर ऑपरेशन किया जाता है तो उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के विशेषज्ञों की सलाह ली जाय तथा बांस को निर्धारित शुल्क के आधार पर परिषद को उपलब्ध कराया जाय, जिससे कि बांस हस्तशिल्प से जुड़े हस्तशिल्पियों, समूहों एवं सहकारिताओं को बांस आधारित गतिविधियों हेतु कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। इस पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा पूछा गया कि क्या जो बास रोपण आरक्षित वन में किया जा रहा है उस पर परिषद का क्या अधिकार है? यदि परिषद को आसानी से बांस उपलब्ध नहीं होता तो आरक्षित वन में बांस को क्यों रोपण किया जाय? *इस पर उनके द्वारा निर्देश दिये गये कि वन पंचायतों एवं सामुदायिक भूमि पर बांस रोपण किया जाय साथ ही यदि आरक्षित वन में बांस रोपण किया जाता है तो इस दशा में सम्बन्धित प्रभाग से एक एम0ओ0यू0 किया जाय जिसमे यह शर्त हो कि बांस कल्चर ऑपरेशन के समय परिषद को बांस उपलब्ध कराने हेतु प्रमुखता के तौर पर सम्मिलित की जाय तथा कल्चर ऑपरेशन से प्राप्त बांस का कम से कम 60 प्रतिशत बांस विभागीय दरों पर परिषद को आबंटन किया जाय।*

उक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.3 उत्तराखण्ड में बांस आधारित संसाधन आंकन (Bamboo based resource assessment) का कार्य।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांए एवं रेशा विकास परिषद के माध्यम से विगत 11 वर्षो में वन तथा गैर वन क्षेत्रों में कुल 14 हजार हे0 क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है। लेकिन प्रदेश में बांस की वास्तविक वस्तु स्थिति को दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है, जिससे कि प्रदेश में बांस आधारित कच्चे माल का आंकलन कर तदनुसार भविष्य में बांस आधारित उद्योग की दिशा में कार्य किया जा सके। इस हेतु परिषद द्वारा ई0ओ0आई हेतु एक अमर उजाला में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था लेकिन निर्धारित तिथि तक एक ही ई0ओ0आई प्राप्त हुई जिस कारण उक्त कार्य आगे नहीं बढ पाया। अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यह कार्य आंशिक रूप से वन वर्धनिक उत्तराखण्ड के माध्यम से करवाया गया। इस कार्य हेतु वन वर्धनिको को करीब 5 लाख दिये गये। सम्पूर्ण कार्य में करीब 14 लाख रूपये की और आवश्यकता है। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा पूछा गया कि उक्त कार्य को किस पद्धति से बांस संसाधन आंकलन करेगी व क्या तकनीकि होगी? अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्वाडरेट के आधार पर बांस का आंकलन किया जायेगा इसके अलावा आवश्यकता पडने पर जी0आई0एस0 की भी सहायता ली जा सकती है।

उक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.4 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की कार्यकारणी समिति की 14वीं बैठक में अनुमोदित संगठनात्मक ढांचे के प्रस्ताव में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

बैठक में यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे का प्रस्ताव प्रबन्ध कार्यकारणी की 14वीं बैठक के मद सं0 14.08 अनुमोदित किया गया था। प्रबन्ध कार्यकारणी के निर्देशानुसार प्रस्तावित ढांचे को शासन की स्वीकृति हेतु पत्रांक /1ए/प्रबन्ध कार्यकारणी/सं0ढा0/2013–14 दिनांक 1 जुलाई, 2013 के माध्यम से प्रेषित किया गया। अनुमोदित ढांचे में कई पदों की नियुक्ति संविदा के आधार पर रखी गयी है, जिस पर शासन द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि संविदा के पदों की निरन्तरता कितनी अवधि की होगी। इस प्रकार ढांचे में संविदा पर रखे पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में कार्यकारणी द्वारा संशोधित ढांचे का अवलोकन किया तथा ढांचे में डिजायनर एवं कनिष्ठ अभियन्ता का पद भी सृजित करने हेतु सुझाव दिया गया जिससे कि परिषद में बांस एवं रेशा आधारित उत्पादों के डिजायन विकास हेतु सुचारू रूप से कार्य किया जा सके। डिजायनर एवं कनिष्ठ अभियन्ता को अविलम्ब संविदा में रखे जाने के बारे में निर्णय लिया गया।

उक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.5 बांस स्केवरस्/चोपिस्टिक पर आधारित मशीन की खरीददारी के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि बांस से तैयार चोपिस्टिक एवं स्किीवर का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बडी मांग है, जिसकी जापान, वियतनाम, ताईवान, कोरिया आदि देशों में बड़ी मांग है। जापान की कम्पनी हीरोसे सांग्यो क0 लि0 बांस आधारित स्केवरस्/चोपिस्टिक को खरीदने वाली प्रतिष्ठित कम्पनी है, जिसके लिए भारत से वुड एण्ड बैम्बू प्रोडक्टस्

हाऊस नामक कम्पनी स्केवरस्/चोपिस्टिक आपूर्ति का काम कर रही है। इस कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद से बांस आधारित स्केवरस्/चोपिस्टिक को खरीदने हेतु सम्पर्क किया गया था तथा उत्तराखण्ड में उपलब्ध बांस पर चोपिस्टिक/स्केबरस् हेतु अनुसंधान के तहत बांस चाइना भेजा गया। अनुसंधान में यह पाया गया कि बेम्बूसा बालकूआ, डेन्ड्रोकैलामस हेमिल्टोनाई तथा बैम्बूसा न्यूटैन्स स्केवरस्/चोपिस्टिक हेतु उपर्युक्त बांस हैं। उक्त कम्पनी परिषद से उच्च गुणवत्ता के चोपिस्टिक एवं स्कीवर 1 कन्टेनर (14 टन) प्रतिमाह की दर से खरीदने के लिए तैयार है।

इन उत्पादों को बनाने हेतु भारत में भी मशीनें उपलब्ध हैं लेकिन इन मशीनों का आउट पुट तथा गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से अच्छी नहीं है। जबकि जापान द्वारा क्रय किये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिए। मै0 वुड एण्ड बैम्बू प्रोडक्टस् हाऊस द्वारा सुझाव दिया गया है कि चोपिस्टिक एवं स्कीवर बनाने हेतु उपर्युक्त मशीन चीन में बनाई जाती हैं, इस मशीन का मूल्य लगभग रू0 4.5 लाख है, जिसको चीन से मंगाया जा सकता है। चुंकि मशीन चीन में है, तो इस स्थिति में टेन्डर के माध्यम से मशीन नहीं खरीदी जा सकती है। चुंकि मै0 वुड एण्ड बैम्बू प्रोडक्टस् हाऊस द्वारा इसी प्रकार की मशीनों को उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में भी स्थापित की गयी हैं, इस लिए परिषद द्वारा भी उक्त कम्पनी के माध्यम से चीन से इस मशीन को खरीदना प्रस्तावित है, जिससे कि यह मशीन परिषद को देहरादून में ही प्राप्त हो सके। इन उत्पादों को बनाने के लिए 8 से 10 मशीनों की ऐसम्बली की आवश्यकता होती है तथा अधिकांश मशीन परिषद के पास उपलब्ध हैं। उपरोक्त प्रस्तावित मशीन ही उच्च गुणवत्ता के फाइनल प्रोडक्ट के लिए आवश्यक है।

उक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मशीन की खरीददारी उत्तराखण्ड शासन के खरीददारी नियमों के आधार पर ही किया जाय। इस सम्बन्ध में डा0 राजेन्द्र डोभाल, महानिदेशक ने कहा कि मशीन को बनाने में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रद्योगिक परिषद पूर्ण मदद करेगे।

एजेण्डा मद संख्या: 15.6 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की कार्यकारणी समिति की 13वीं बैठक में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में बांस एवं रेशा राज्य स्वायत्त सहकारिता महासंघ के गठन के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक सहकारिताओं द्वारा तैयार उत्पादों के लिए सुदृढ़ बाजार व्यवस्था बनाने तथा बाजार मांग के अनुसार उत्पादों को तैयार कराने के उद्देश्य से परिषद द्वारा सक्रीय प्राथमिक सहकारिताओं को जोड़ कर राज्य स्तर पर "बांस एवं रेशा राज्य स्वायत्त सहकारिता महासंघ" के नाम से एक सहकारिता महासंघ (Cooperatives Federation) का गठन किया है। फडरेशन के गठन सम्बन्धी एजेण्डा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की कार्यकारिणी की 13वीं बैठक बी.एम. 13.5 में रखी गयी थी, जिसको कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सहकारिता महासंघ के माध्यम से विपणन सम्बन्धी गतिविधयों को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा बांस एवं रेशा राज्य स्वायत्त सहकारिता महासंघ के बीच एक सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित था, जिसको तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन को आख्या हेतु प्रेषित किया गया। इस हेतु प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2014 को उनके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत

की गयी। विचार विमर्श उपरान्त प्रमुख सचित द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नई संस्था बनाने पर अकारण खर्चे बढेगें। अतः फडरेशन का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास/अध्यकक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा जानना चाहा कि महासंघ की आवश्यकता क्यों है क्यों न प्राथमिक सहकारिताओं को हि सशक्त कर विपणन किया जाय तथा परिषद खुद भी विपणन कार्य कर सकता है। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिये गये कि यदि फडरेशन को सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है तो यह उचित नहीं है। सभी सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि परिषद प्राथमिक सहकारिताओं को विपणन हेतु सुदृढ करे तथा परिषद स्वयं विपणन कार्य करे।

एजेण्डा मद संख्याः 15.7 उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत वर्ष का अवशेष रू0 3,11,48,122 था तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 3,44,32,418/– की राशि प्राप्त हुई इस प्रकार रू0 6,55,71,540 की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2013–114 में रु. 2,18,94,945/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2014 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ब्याज सहित कुल रू0 4,50,98,590/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2013–14 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से परिषद के वित्तीय वर्ष 2013–14 का अर्थिक चिट्ठा का अनुमोदान किया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.8 परिषद में संविदा पर कार्यरत स्टाफ का कार्य के अनुरूप मानदेय बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद में कार्यरत कार्मिकों का मासिक मानदेय में पिछले पांच वर्षो में मात्र 2 बार 5–5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है, जो अन्य संथाओं एवं विभागों के सापेक्ष काफी कम है। इसके अलावा इन कार्मिको को किसी प्रकार का भत्ता भी देय नहीं हैं। इसी को देखते हुए पिछले पांच वर्षो में परिषद से 60 प्रतिशत से भी अधिक संविदा कर्मी परिषद को छोड चुके हैं, जिस कारण परिषद के कार्य बाधित हुए हैं। अतः कार्य अनुभव, क्षमता एवं पद के अनुसार इन संविदा कर्मियों का मानदेय में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णया कि कार्यरत कर्मचारियों द्वारा उनके पद के अनुसार किये जा रहे कार्यो का मूल्यांकन कर मासिक मानदेय वृद्धि की जाय, जिसके लिए एक समिति का गठन करने का निर्देश दिये गये, जिसमें परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग के वित्त नियंत्रक/अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जलागम से किसी एक अधिकारी को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.9 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता लागू करने के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उप निदेशक के पदों पर वन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती रही है, आगे भी प्रतिनियुक्ति पर अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय–समय पर आवश्यकता होगी, अतः परिषद में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान की भांति किया जाए। क्योंकि परिषद में वन विभाग के अधिकारी आने को इच्छुक नही रहते है। वर्तमान में परिषद में मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही वन विभाग के है, इसके अतिरिक्त परिषद में कोई भी अधिकारी / कर्मचारी वन विभाग का नहीं है। ज्ञातव्य है कि परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही मात्र राजकीय वेतन पर है, परिषद के अन्य समस्त कर्मचारी संविदा पर है।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद में कार्यरत वन विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भत्ता केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थान की भांति दिया जाए यदि वन विभाग परिषद का वर्तमान ढाचा स्वीकृत कर दे। उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता तथा अन्य भत्ता दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.10 परिषद के व्यवसाय को गति प्रदान करने हेतु परिषद में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों से बांस एवं रेशा आधारित उत्पादों के विक्रय पर प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कई हस्तशिल्पी एव बुनकर बांस, रिंगाल एव रेशे पर आधारित व्यवसाय से जुडे है, लेकिन विपणन कार्य में और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि इस क्षेत्र में जुडे हुए हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों को लगातार आर्डर प्राप्त होते रहें। इस हेतु एक अभिनव प्रयास के रूप में परिषद में संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को उनके व्यक्तिगत प्रयासों से बांस एव रेशा आधारित उत्पादों के आर्डर लाने पर कुल विक्रय राशि का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि विपणन सम्बन्धित गतिविधियों को बल मिलेगा।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों को निश्चित कार्य के एवज में वेतन दिया जा रहा है इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहर राशि नहीं दी जा सकती। विपणन को प्रोत्साहन हेतु वाह्य रूप से कोई भी व्यक्ति या संस्था अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है तो उन्हें कुल विक्रय राशि पर 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया।

एजेण्डा मद संख्याः 15.11 राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत 2015–16 की कार्य योजना प्रेषण के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की 2014–15 की प्रगति आख्या एव कार्य योजना 2015–16 का परियोजना प्रस्ताव रू0 295.07 लाख का बजट राष्ट्रीय बांस मिशन को

भेजा गया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बास मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के वार्षिक योजना 2014–15 के लिए रू0 99.25 लाख बजट स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस बजट के विरूद्ध प्रथम किश्त के रूप में रू0 28.58 लाख अवमुक्त कर दिये हैं, जो स्टेट ट्रेजरी के माध्यम से परिषद को मिलना था। लेकिन ट्रेजरी में राष्ट्रीय बांस मिशन का कोई हेड नहीं होने के कारण अभी तक यह धनराशि परिषद को उपलब्ध नहीं हो पाया।

इस पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना की 2014–15 की प्रगति आख्या एवं कार्य योजना 2015–16 का परियोजना प्रस्ताव रू0 295.07 लाख का बजट का अनुमोदन किया गया तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को दिये जाने वाले बजट को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन के नाम से एक अलग हेट खोलने का निर्णय लिया गया। चुंकि वन विभाग, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद का नोडल विभाग है इसलिए राष्ट्रीय बांस मिशन के नाम से वन विभाग एक हेड खोलेगा, जिसके लिए वन विभाग तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करे।

एजेण्डा मद संख्या 15.12 अनुदान सं0 27 के अन्तर्गत परिषद को मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान शासन द्वारा वन विभाग के अनुदान सं0 27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना ***उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद*** के कोषागार मदों में रू0 30 लाख का प्रावधान है, जो काफी कम है। चुंकि परिषद में संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत परिषद के संचालन हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं है। अतः शासन से उक्त अनुदान राशि को कम से कम 1 करोड प्रति वर्ष किया जाय, जिससे कि परिषद का संचालन सुचारू रूप से हो सके। प्रबन्ध कारिणी के अनुदान संख्या 31 में 2–3 करोड का प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

प्रबन्ध कार्यकारिणी ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा तथा यह निर्णय लिया गया कि परिषद इसका प्रस्ताव वन विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करें।

एजेण्डा मद संख्या 15.13: प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए स्थान का चयन।

अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि हिमालयन नेटन तथा औधोगिक भांग में रोजगार की सम्भावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य में इन प्राकृतिक रेशों के प्रारम्भिक प्रसंस्करण से लेकर अन्तिम उपयोग सम्बन्धी जारकारी हेतु प्रदेश स्तर पर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति इन रेशों की गतिविधि सम्बन्धी जारकारी एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकें, जिसके लिए सुयोग्य स्थान की आवश्यकता होगी।

इस विषय पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा प्रदेश में वानस्पतिक रेशे एवं सम्भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा रेशे पर आधारित उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिए वन विभाग उत्तराखण्ड को एक प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा मद संख्या 15.14: उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु लेखा अंकेक्षण (Charted Accoantant) की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में मै0 लोवेश कालरा एण्ड कम्पनी द्वारा विगत दो वर्षों से परिषद के लेखा अकेक्षण का कार्य किया जा रहा है, इनके स्थान पर नए लेखा अंकेक्षण की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।

इस पर सर्वसम्मति से विचारोपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लेखा अंकेक्षण (Charted Accoantant) की नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन के पेनल में रजिस्टर्ड लेखा अंकेक्षण (Charted Accoantant) को ही नियुक्त परिषद में किया जाय।

मद संख्या 15.15: परिषद के लिए महिन्द्रा स्कॉरपियों खरीदने के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि परिषद की अधिकतर गतिविधिया फील्ड आधारित हैं। जिसमें मुख्यतः बांस रोपण, नर्सरी विकास, कौशल सम्बर्द्धन इत्यादि। इन गतिविधियों का समय-समय पर अनुश्रवण व मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, जिसके लिए फील्ड भ्रमण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में परिषद के सी.ई0ओ0 के पास टाटा मान्जा गाडी है जो फील्ड भ्रमण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है इसलिए परिषद के लिए एक महिन्द्रा स्कॉरपियों जैसी गाडी की आवश्यकता है जिससे कि फील्ड गतिविधियों का अनुश्रवण व मूल्यांकन सुगमता पूर्वक किया जा सके।

इस पर अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास द्वारा बताया गया कि वर्तमान में गाड़ी खरीदने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। अतः गाड़ी की स्वीकृति हेतु परिषद शासन के माध्यम से आवेदन भेजें।

एजेण्डा मद संख्या 15.16: प्रदेश में औद्योगिक भांग में टी0एच0सी0 (**delta-9-tetrahydrocannabinol**) स्तर को कम करने तथा प्रदेश में इसकी खेती हेतु नीति निर्धारण:

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड के परिपेक्ष्य में औधोगिक भांग की खेती काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है जिससे एक साथ तीन उधोग स्थापित किये जा सकते है जिसमें मुख्यतः रेशा उधोग, कागज उधोग तथा ऑयल उधोग हैं। यदि उत्तराखण्ड राज्य में व्यापारिक भांग का कृषिकरण किया जाता है तो उन देशों से बीज का आयात किया जा सकता है जहां कम टी0एच0सी0 (**delta-9-tetrahydrocannabinol**) वाला बीज उपलब्ध है। इस पर अध्ययन हेतु प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान संस्थानों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में provenance Trail किये जा सकते हैं तथा परीक्षण के आधार पर प्रदेश में औधोगिक भांग की कन्ट्रोल फार्मिंग हेतु शासन स्तर पर एक नीति तैयार की जा सकती है, जिससे प्रदेश के किसानों/काश्तकारों के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे साथ ही प्रदेश के आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।

इस पर सर्वसम्मति से विचारोपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 0.3 प्रतिशत से कम टी0एच0सी0 स्तर के औधोगिक भांग का बीज को आयात करने हेतु परिषद आवश्यक कार्यवाही करे तथा

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में provenance Trail हेतु विवेकानन्द पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा वन वर्धनिक तथा स्वयं परिषद यह कार्य करे।

एजेण्डा मद संख्या 15.17 अन्य विन्दु:

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद द्वारा कैम्पा उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बांस एवं रेशा आधारित गतिविधियों हेतु 2015–16 के लिए रू0 72 लाख की परियोजना का प्रेषण किया गया है। रिंगाल एवं प्राकृतिक रेशे पर आधारित रोजगार को बढावा देने हेतु रू0 144 लाख लागत की तीन वर्षीय परियोजना प्रस्ताव सामेकित आजीविका सहयोग परियोजना को प्रेषित की गयी है जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षा में है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी अवगत उक्त से हुई तथा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद के साथ ही बैठक का समापन किया गया।

(शशि कुमार दत्त)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा
विकास परिषद

अनुमोदित

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन
एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यकारिणी की 15वीं बैठक तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित पोषित ''राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना'' की राज्य बांस संचालन कमेटी **(State Bamboo Steering Committee)** की बैठक उपस्थिति

बैठक का स्थानः– बैठक कक्ष अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

दिनांकः– 13 अप्रेल, 2015

क्रम स0	अधिकारी का नाम	पद नाम तथा विभाग/संस्था	हस्ताक्षर
1	S.T.S. LEPCHA	APCCF (RoFm/F.C)	[signature]
2	डॉ. राजेन्द्र सिंह [illegible]	महानिदेशक S&T	[signature]
3	[illegible]	APCCF/CEO Bamboo Board	[signature]
4			
5	डॉ [illegible]	प्रभारी सचिव, [illegible]	[signature]
6	S.C. Nautiyal	Addl. Dir. Industries CEO/UNNDC	[signature]
7	Nirmal Harbola	Himmotthan Society	[signature]
8	Rajanu Kaler	APCCF Administration	[signature]
10	Shyam Singh	Deputy Secy Forest	[signature]
11			